न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—261/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/261)

1. खीमसिंह पुत्र स्व0 श्री हजारीसिंह (मृतक) जरिये वारिसान—
   1/1 बाबूसिंह पुत्र स्व0 श्री खीमसिंह
2. देवीसिंह पुत्र स्व0 श्री हजारी सिंह (मृतक) जरिये वारिसान—
   2/1 श्रीमती पानी देवी पत्नि स्व0 श्री देवी सिंह
   2/2 नन्दसिंह पुत्र स्व0 श्री देवी सिंह
   2/3 मोखमसिंह पुत्र स्व0 श्री देवी सिंह
   2/4 भगवतसिंह पुत्र स्व0 श्री देवी सिंह
   2/5 लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व0 श्री देवी सिंह
   2/6 सीता पुत्र स्व0 श्री देवी सिंह (नाम तर्क)
3. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री हजारी सिंह
4. श्रीमति भंवरी पुत्र स्व0 श्री हजारी सिंह पत्नि श्री सुवा (नाम तर्क)

समस्त जाति रावत निवासी गणेशपुरा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर।

अपीलांट्स

बनाम

1. रामसिंह पुत्र स्व0 श्री मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी जी0पी0ओ0 अजमेर।
2. संजय जैन पुत्र मोहनलाल जैन जाति जैन, निवासी 8/18, किशनगंज, ब्यावर जिला अजमेर।
3. कृष्णकांत सिंघल पुत्र ज्ञानचंद सिंघल, जाति अग्रवाल, निवासी 2/24, साकेत नगर, ब्यावर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 05.01.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर राजस्व वाद संख्या 47/2020

उपस्थितः—

1. श्रीमती पूनम माथुर/सुमित जैन अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राकेश आरोड़ा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 04

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः–14.10.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 47/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.01.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पूर्व खसरा संख्या 671 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा के वादीगण के पिता श्री हजारी सिंह रावत पुत्र लालूसिंह रावत 2024 से 2027 में इस भूमि को हजारीसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया, लेकिन मोतीसिंह पुत्र पन्ना सिंह ने गलती से एवं गैर कानूनी रूप से अपने आपको उपकृषक दर्ज करवा लिया जिसके हाल सेटलमेंट में विवादित भूमि हाल खसरा संख्या 798 में मोतीसिंह पुत्र पन्नासिंह को खातेदार मानकर जमाबंदी में अकेले का नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि मोती का इस भूमि से कोई हक, अधिकार नहीं है, एवं वादीगण ही उनके पूर्वजों के समय से इस भूमि पर काबिज काश्त खातेदार दर्ज चले आ रहे हैं अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर उन्हें खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए राजस्व अभिलेखों में वादीगण का नाम खातेदारी बाबत अमल कराया जावे। विचारण न्यायालय ने दिनांक 29.8.2003 को अपीलार्थी का वाद खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर में प्रस्तुत की गई दिनांक 14.1.2004 को राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु नियत किया गया, तथा 31.3.2008 को वाद खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने पर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा 29.1.2009 को अपील स्वीकार कर पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया, तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा प्रकरण को सुनवाई में नियत ही नहीं किया गया, दिनांक 19.8.2020 को प्रकरण को पुनःदर्ज कर सुनवाई हेतु नियत किया गया, तत्पश्चात दोनों पक्षों की लिखित बहस सुनी जाकर 5.1.2021 को निर्णय पारित किया गया तथा वाद खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई एवं न्यायायल हाजा द्वारा दिनांक 22.02.2023 को अपील स्वीकार की गई, जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में दो अपीले प्रस्तुत हुई एवं दोनो ही अपीलों को माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 04.07.2024 को आंशिक स्वीकार कर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.02.2023 को निरस्त कर पुनः रेस्पोडेन्टस को रिबिटल में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिअनुसार निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया गया। माननीय राजस्व मण्डल के आदेश की पालना में अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की गई। तथा वादग्रस्त आराजीयात के क्रेतागण जिनके द्वारा माननीय मण्डल में हाजा न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील पेश की गई थी को भी पक्षकार संयोजित किया गया। अपीलांट संख्या 2/1 से 2/6 व अपीलांट संख्या 03 द्वारा रेस्पोडेन्टस से राजीनामा कर राजीनामें द्वारा अपील को उनकी हद तक निर्णित/विड्रो किया गया। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा रिबिटल में खसरा गिरदावरी चतुर्वर्षीय संवत 2015 से 2016, खसरा गिरदावरी संवत 2017 से 2019 जमबांदी खेवट संवत

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2020 से 2023 खसरा गिरदावरी संवत 2022 से 2024 एवं खसरा गिरदावरी संवत 2024 से 2027 प्रस्तुत किये गये जिन्हे दौराने बहस रिकार्ड पर लिया गया। वर्तमान में अपील अपीलांट संख्या 1/1 के हक हिस्से तक ही वर्तमान में विचाराधीन है।

3. माननीय राजस्व मण्डल से प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने पर रेस्पोडेन्टस को रिबिटल में दस्तावेज प्रस्तुत किये जिन्हे रिकार्ड पर लिया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी ब्यावर ने पक्षकारान के अभिभाषक की लिखिल बहस का अकन करने के उपरांत जो विवेचन प्रदान किया है उक्त विवेचन में 16.3.73 के आदेश के उपलब्ध नहीं होने को अपने निर्णय का आधार बनाया है, जबकि 16.3.1973 के आदेश में दुरूस्ती बावत खसरा संख्या 665, 666, 671 की दुरूस्ती का विवरण था तथा खसरा संख्या 665 व 666 बावत दुरूस्ती अभिलेखें में राजस्व विभाग द्वारा कर दी गई तथा खसरा संख्या 671 की दुरूस्ती नहीं की गई, अभिलेखों के संधारण का कार्य राजस्व विभाग का है, तथा इस आधार पर दुरूस्ती का वाद खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। खातेदारी अधिकार अपीलार्थीगण के पूर्वज हजारी पुत्र लालू के सनफसली 1350 में वर्णित थे, तथा उक्त अभिलेख में हजारी पुत्र लालू को खातेदार अंकित किया हुआ था, इसके उपरांत बाद के वर्षो का अभिलेख तहसील ब्यावर में उपलब्ध ही नहीं है तथा आगामी जमाबंदी सम्वत 2020 से 2023 में खातेदार के रूप में हजारी का नाम अंकित किया परंतु मोती पुत्र पन्ना को उपकृषक के रूप में अंकित कर दिया इसी प्रकार की प्रविष्टि सम्वत 2024 से 2027 की जमाबंदी में रही, तत्पश्चात आगामी जमाबंदी में खसरा संख्या 671 के नए खसरा संख्या 798 वर्णित करते हुए खातेदारी बावत अंकन हजारी के बजाय मोती पुत्र पन्ना के नाम कर दिया, जिसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि खातेदारी अधिकार विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार है तथा किसी खातेदार के अधिकारों को राजस्व विभाग या भू प्रबंध विभाग नया अभिलेख बनाते समय परिवर्तित नहीं कर सकता, खातेदारी अधिकारों के परिवर्तन किसी हस्तांतरण या विधिक आदेश के जरिए ही किया जा सकता है। परंतु न तो राज्य सरकार ने ऐसी कोई वजह या कारण जाहिर किया, जिससे कि खातेदारी अधिकारों में किसी विधिपूर्ण आदेश से परिवर्तन किया गया हो, न ही प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा कोई आधार प्रकट किया जिससे कि खातेदारी अधिकारी में परिवर्तन होना विधि मान्य प्रतित हो। नया अभिलेख बनाते समय त्रुटि पूर्ण अंकन किया गया, उक्त त्रुटि की दुरूस्ती 16.3.73 को किए जाने बावत आदेश जारी किया गया, तथा 16.3.1973 का आदेश अभिलेखों का समुचित संधारण नहीं होने से उपलब्ध नहीं भी होता है तो भी हजारी पुत्र लालू की खातेदारी बावत प्रविष्टि को बिना आधार के परिवर्तित किया गया होने से अपीलार्थीगण का वाद स्वीकार किए जाने योग्य था परंतु विचारण न्यायालय ने जो निर्णय व डिक्री दिनांक 5.1.2021 को पारित की है वह निरस्त योग्य है। सम्वत 2041 के वर्किंग जमाबंदी के अभिलेख को किसी भी प्रकार से वरीयता नहीं दी जा सकती, क्योंकि भू प्रबंध विभाग द्वारा बनाया गया अभिलेख पूर्व प्रविष्टि के समकक्ष नहीं है इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा इस बाबत दो लाइन में जो विवेचन किया गया है वह किसी भी प्रकार से विधि सम्वत नहीं है क्योंकि भू प्रबंध विभाग को पूर्व अभिलेख में परिवर्तन करने का तथा खातेदारी अधिकारों को बदलने का अधिकार नहीं है। विचारण

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय ने यह अंकित करते हुए वाद खारिज कर दिया कि वर्ष 1973 के आदेश पारित होने के बाद वर्ष 2000 तक खातेदारी दर्ज क्यों नहीं करवाई गई यह विवेचन अपीलार्थीगण को न्याय से वंचित करने के उद्देश्य से किया गया तथा विचारण न्यायालय ने इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से जो व्यक्ति खातेदार अंकित रहा है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात भी जो व्यक्ति खातेदार के रूप में अभिलेखों में अंकित किया जाता रहा है उसे भू प्रबंध विभाग ने बिना किसी आदेश के द्वारा खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन कर नई प्रविष्टि की है, परंतु ऐसा नहीं कर वाद खाजिर कर निर्णय व डिक्री पारित की है। वर्तमान वाद 16.3.1973 के आदेश के द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने के कारण दुरूस्ती से संबंधित नहीं था, अपितु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व चले आ रहे खातेदारी अधिकारों की प्रविष्टि में परिवर्तन भू प्रबंध विभाग द्वारा किए जाने के कारण तत्समय जब भू प्रबंध कार्य चल रहा था उसी दौरान 16.3.1973 के आदेश के द्वारा नए अभिलेख में वर्णित त्रुटि को दुरूस्त कर पूर्व प्रविष्टि बहाल करने से संबंधित था, अर्थात समग्र विवेचन न्यायालय को पक्षकरों के खातेदारी अधिकारों का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व प्रचलन में होने की जांच से संबंधित था, जिस पर विचार नहीं कर पूर्व अभिलेखों को नजर अंदाज कर निर्णय व डिक्री पारित की है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 47/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.01.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील जवाब बहस में कथन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय के समक्ष राजस्व ग्राम फतेहपुरिया दोयम तहसील ब्यावर जिला अजमेर राजस्थान के साबिक खसरा संख्या 671 हाल खसरा संख्या 798 की भूमि का खातेदार घोषित किए जाने हेतु पेश किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का आधार तथाकथित आदेश दिनांक 16.3.1973 को वर्णित किया है। ऐसा कोई आदेश अस्तित्व में ही नहीं आया। वादीगण द्वारा सम्पूर्ण वादपत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है वह आदेश किस प्रकरण में पारित किया गया है एवं ऐसा प्रकरण किस प्रावधान के तहत प्रकरण संस्थित हुआ उपखण्ड अधिकारी का पद विधि के अनुसार सृजित पद है एवं उनके द्वारा किसी भी प्रकरण में कोई भी कार्यवाही विधि अनुसार ही संस्थित की जा सकती है एवं विधि अनुसार ही दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आदेश पारित किया जा सकता है। प्रतिवादी की जानकारी में ऐसा कोई प्रकरण कभी भी संस्थित ही नहीं हुआ एवं न ही कभी प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया व न ही किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किया गया। इस संबंध में वादीगण के कथन कपोल कल्पना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ऐसा प्रकट होता है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी की भूमि हड़पने के लिए न्यायालय के समक्ष आदेश के रूप में फर्जी दस्तावेज कूटरचित किया है एवं इस कूटरचित दस्तावेज का दुरूपयोग कर, यह प्रकरण न्यायालय के समक्ष संस्थित किया गया है। यह आदेश दिनांक 16.03.1973 अवलोकन मात्र से ही प्रथम दृष्टया फर्जी होना प्रकट हो जाता है। उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा पारित किया गया आदेश, बताया गया जबकि इस तथाकथित आदेश में कार्यालय तहसीलदार, ब्यावर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अंकित है। तहसील कार्यालय से उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया जाना संभव ही नहीं है। इस आदेश में उपस्थित विश्वरदयाल एन0टी0 की बताई गई है। इस प्रकार यह दस्तावेज परस्पर विरोधाभासी है। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा एक पत्र क्रमांक 1720 दिनांक 24.2.2003 तहसीलदार ब्यावर को प्रेषित कर, संबंधित पत्रावली इस न्यायालय में प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार ब्यावर को ऐसी कोई पत्रावली ही उपलब्ध नहीं हुई व ना ही ऐसा कोई आदेश प्राप्त हुआ। उनके द्वारा पत्र क्रमांक 718 दिनांक 03.03.2003 इस न्यायालय को प्रेषित कर, इस तथा कथित आदेश को संदेहास्पद बताया गया। वादीगण का किया गया कथन मिथ्या व सारहीन है कि श्री मोती पुत्र श्री पन्ना राजपूत को इस खसरा नम्बर की भूमि का गलत व गैर कानूनी रूप से उपकृषक दर्ज कर दिया गया हो। यह कथन भी गलत है कि मोती पुत्र पन्ना का कभी कब्जा नहीं रहा हो और उसने कभी काश्त नहीं किया गया हों। इस खसरा नम्बर की भूमि पर 70 वर्षों से अधिक समय से श्री मोती पुत्र श्री पन्ना व प्रतिवादी संख्या 1 व उसके परिवारजन लगातार काबिज चले आ रहे है। वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 में भी श्री मोती पुत्र श्री पन्ना का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया। खसरा गिरदावरी फसली सम्वत 1362 जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने के पूर्व की है, में भी साबिक खसरा संख्या 671 बाबत श्री मोती पुत्र पन्ना का नाम ही बतौर काश्तकार दर्ज है एवं इसके बाद भी सभी गिरदावरियों में लगातार श्री मोती पुत्र श्री पन्ना का ही नाम दर्ज है। मोती पुत्र श्री पन्ना ही साबिक खसरा संख्या 671 व हाल खसरा नम्बर 798 का विधिक तौर पर खातेदार हो गया व उसका नाम राजस्व अभिलेख में भी दर्ज हो गया है। वादीगण द्वारा कभी भी लगान व हासिल जमा नहीं करवाया व न ही कोई रसीद प्राप्त की गई। वादीगण ने न्यायालय के समक्ष यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि साबिक खसरा नम्बर 665, 666 की भूमियां ही उनके नाम दर्ज क्यों कि गई व 671 की भूमियां उनके नाम दर्ज क्यों नहीं की गई। वास्तविकता में सन् 1950 में ही प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पूर्वजों का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा था इस कारण वादीगण व अन्य किसी का नाम दर्ज किया जाना संभव ही नहीं था। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अवलोकन के बाद हमने पाया कि अपीलांट/वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 671 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा ग्राम फतेहपुरिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर में अवस्थित बाबत खातेदारी उदघोषणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया।

1359 सन फसली में वादी के पूर्वज हजारी सिंह पुत्र लालू के नाम दर्ज थी। पक्षकारान लोगों के बीच विवाद होने पर उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा उक्त भूमि बाबत जांच कर दिनांक 16.3.1973 को आदेश पारित कर जमाबंदी में नोट लगाए जाने का आदेश प्रदान किया। परंतु राजस्व कर्मचारी द्वारा उक्त खसरा नम्बर बाबत नोट तात्कालीन जमाबंदी में नही लगाया गया।

वादीगण द्वारा उक्त आराजीयात बाबत उद्घोषणा खातेदारी हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद दायर किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.03.2008 को निरस्त किया गया। जिसके

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

विरूद्ध अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर हाजा न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.1.2009 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.3.2008 को निरस्त कर उक्त प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 16.3.1973 का अवलोकन कर पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित करे।

हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व में रिमांड प्रकरण की पालना में उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर आदेश दिनांक 05.01.2021 में यह स्पष्ट किया है कि " तथाकथित प्रमाणित प्रति आदेश दिनांक 16.03.1973 वादी स्वयं द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो कि नायब तहसीलदार ब्यावर द्वारा प्रमाणित किया जाकर जारी किय गया है। उक्त सम्पूर्ण आदेश में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के प्रकरण संख्या, धारा व उनवान अंकित नहीं है। जबकि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री हेतु विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए उक्त सभी इन्द्राजात होना आवश्य है जो कि इस प्रस्तुत आदेश दिनांक 16.03. 1973 में अंकित नहीं किये गये है। इसके अतिरिक्त भी स्वयं तहसीलदार ब्यावर द्वारा अपने पत्रांक भू0अ0/03/718 दिनांक 03.03. 2003 से उक्त 1973 के आदेश पर संदेह प्रकट किया गया है। तहसील कार्यालय ब्यावर व इस न्यायालय हाजा में ऐसा कोई निर्णय/डिक्री किया जाना भी नहीं पाया गया है।"

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेज तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा रिबिटल में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह पाया कि वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय व न्यायालय हाजा के समक्ष समक्ष पेश दस्तावेज सन फसली 1350 के खाता संख्या 36 में खसरा संख्या 665, 666, 671 में हजारी वल्द लालू कौम रावत दर्ज है जो तावेरमजी शामलात दर्ज है।

उक्त दस्तावेज जागीरदारी अधिनियम रिज्यूम होने व काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पहले के है जिसमें तीनो ही खसरा नम्बर शामलात देह में दर्ज है। अपीलांट द्वारा जो न्यायायल हाजा में प्रस्तुत 1315 फसली में वादग्रस्त आराजीयात के खसरा नम्बर का मिलान नहीं हो रहा है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सन फसली 1340– 1341, 1364–1365 में कॉलम संख्या 04 जो खातेदार/काश्तकार का कॉलम है उक्त दोनो ही सन फसली में अपीलांट के पूर्वज का कही नाम दर्ज नही है। जागीरदारी रिज्यूम होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के समय कानूनी रूप से जिन भूमियो पर जो काश्तकार काबिज काश्त था उसे बाई आपरेशन आफ लॉ कानूनी रूप से खातेदारी दर्ज की गई।

बाई आपरेशन आफ लॉ के आधार पर ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पूर्वज मोती जो कि वादग्रस्त आराजीयात के साविक खसरा नम्बर 671 रकबा 01 विघा 13 बिस्वा पर उपकृषक की हैसियत से काविज काश्त रहा है। खसरा गिरदावरी चतुवर्षीय संवत 2015 से 2016 में कॉलम संख्या 5 में सामलात देह तथा कॉलम संख्या 6 में मोती वल्द पन्ना राजपूत 3 साल, खसरा गिरदावरी संवत 2017 से 2019 में भी कॉलम संख्या 6 में मोती वल्द पन्ना राजपूत 5 साल, जमाबंदी खेवट संवत 2020 से 2023 में भी मोती वल्द पन्ना उपकृषक दर्ज होकर लगान दिया जाना प्रमाणित हैं, खसरा गिरदावरी संवत 2022 से 2024 एवं खसरा गिरदावरी संवत 2024 से 2027 में भी मोती वल्द पन्ना राजपूत उपकृषक दर्ज हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने कि पश्चात उक्त अधिनियम आबू, अजमेर एवं सूनेल में 15 जून 1958 प्रभाव में आया तथा जब काश्तकारी अधिनियम अजमेर में प्रभाव में आया तत्समय रेस्पोडेन्ट के वादग्रस्त आराजीयात पर उपकृषक की हैसियत से काबिज काश्त रहा है तथा निरंतर लगान देना भी दस्तावेजों से प्रमाणित है। तथा इसी आधार पर कानूनी रूप से धारा 19 के तहत रेस्पोडेन्ट को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। धारा 19 की पालना में रेस्पोडेन्ट के पूर्वज बाद की जमाबंदियों में विधिवत रूप से खातेदार दर्ज हुआ है। इस संबंध में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0आर0डी 1987 पेज 97 प्रस्तुत किये जो हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होते है।

वादग्रस्त आरजीयात पर अपीलांट व अपीलांट के पूर्वजों ने काश्त बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। अधीनस्थ न्यायालय व हाजा न्यायालय की पत्रावली में पेश दस्तावेजों में वादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट के पूर्वजों का कब्जा काश्त पूर्णतया साबित है। तथा रेस्पोडेन्ट का वादग्रस्त आराजीयात पर पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त होने के कथन को हाजा न्यायालय में अपीलांट संख्या 2/1 से 2/7 एवं 03 राजीनामा पेश कर स्वयं स्वीकृति दी है कि वादग्रस्त आरजीयात पर रेस्पोडेन्ट का ही कब्जा काश्त माना है।

संवत 2015 से लगातार रेस्पोडेन्ट के पूर्वज वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त किया जाना गिरदावरीयों एवं जमाबंदियों से अनुसार सिद्ध है। संवत 2041 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पूर्वज का नाम तनहा रूप से खातेदार दर्ज है तथा उसके बाद की जमांदियों में रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज हुआ है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा भी समस्त दस्तावेजात का अवलोकन कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है जिसकी पुष्टि भी न्यायालय हाजा द्वारा की जाती है। उपरोक्त कारणों से वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट का किसी भी प्रकार से हक अधिकार बनना नहीं पाया जाता है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से यथावत रखे जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 47/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.01.2021 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 14.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

14/10/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
(अजमेर)

Scanned with CamScanner

डिगरी ब सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

:Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत : राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।

ब इजलाशः–रामचन्द्र, आर.ए.एस.

खीमसिंह पुत्र स्व0 श्री हजारीसिंह मृतक जरिये वारिसानः–

1/1–बाबूसिंह पुत्र स्व0 श्री खीमसिंह जाति रावत निवासी गणेशपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर व अन्य।

बनाम

रामसिंह पुत्र स्व0 श्री मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी जी.पी.ओ. अजमेर जिला अजमेर व अन्य।

(अपील संख्या 261/2024 ब अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला ब्यावर मुबखे 05 माह 01 सन् 2021 प्रकरण संख्या 47/2020(2020/120)(पुराना नम्बर 91/2000) बउनवानी खीमसिंह बनाम रामसिंह वगैरह)

वाद अन्तर्गत धारा 88, राज0 काश्त0 अधि.सपठित धारा 125 राज0 भू राजस्व अधि0

यह अपील ब तारीख 14 माह 10 सन् 2025 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिर श्री पूनम माथुर/सुमित जैन अभिभाषक अीपलांट,श्री राकेश अरोडा अभिभाषक रेस्पों संख्या 01 से 03, श्री विकास पाराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 04, समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं कि:–अपील अपीलांटस खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 47/2020(2020/120)(पुराना नम्बर 91/2000) में पारित निर्णय दिनांक 05.01.2021 को यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक –. रूपये– –. अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का– अदा करें।)

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 14 माह 10 सन् 2025 को जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी मोहर अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये	पैसे
1.स्टाम्प अपील	–		1.स्टाम्प वकालतनामा	–	
2.स्टाम्प वकालतनामा	–		2.स्टाम्प अर्जी	–	
3.इजराय हुक्मनामा	–		3.इजराय हुक्मनामा	–	
4.वकील फीस बाबत्	–		4.महनताना वकील	–	
मीजान	–		मीजान	–	

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये

Scanned with CamScanner